

राजस्व अपील संख्या 129/2022

अनवान

चनणी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ

दिनांक 29 -03-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/563 दिनांक 06-12-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलांट श्री जगदीश प्रजापत एवं रेस्पो० की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया उपस्थित। पक्षकारों के अधिवक्ताओं की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06-12-2021 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि में से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नहीं किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बन्धी जारी परिपत्र में भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नहीं है।

इस सम्बन्ध में अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प में यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में हमें सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति में तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते के



श्री  
कति • सम्भागीय आयोग  
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते के

हमने पक्षकारो अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06-12-2021 जो ग्राम विरमनगर तहसील शेरगढ के संबंध मे पारित किया है, उसका एंव पत्रावली के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/563 दिनांक 06-12-2021 को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति मे रास्ते के सम्बध मे मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपील मे वर्णित अपीलान्ट के खातेदारी के खंसरा न0 57 की भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।



बति. सम्भागीय बायुक्त  
जोधपुर